दिनांक 25.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान — स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

यातायात व्यवस्थित करने आईटीआई के समीप सर्विस रोड पर की गई कार्यवाही, लक्ष्मी मेडिकल के अतिरिक्त निर्माण को हटाया एवं हीरो शोरूम से वसूला गया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के प्रभारी आयुक्त आर 0के0 साहू के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के उड़नदस्ता एवं तोड़फोड़ की टीम द्वारा नेहरु नगर जोन 01 एवं जोन 4 के अंतर्गत कार्यवाही गई। जोन 01 नेहरु नगर एवं जोन 04 शिवाजी नगर के अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायर खाद्य एवं पेय पदार्थ रखने वालों , यातायात बाधित करने वाले पर निगम की उड़नदस्ता टीम ने कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस, यातायात बाधित करने वाले ठेला , गुमटी, होर्डिंग आदि का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की गई जिसमें 08 प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस व प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, गंदगी फैलाने, रोड बाधा शुल्क के रुप में 23200 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस , गंदगी फैलाने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा जोन 01 में शहीद कौशल पेट्रोल पम्प के सामने मुन्नी साव नारियल पानी बेचते हुए रोड बाधा तथा बेतरतीब गंदगी फैलाने , नारियल पानी के उपयोग पश्चात इधर-उधर फेंक देने पर, पान ठेला से रोड बाधा, हरकेश वर्मा अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं रखने एवं जोन 04 के अंतर्गत लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स पावर हाउस द्वारा फ्लेक्स आदि लगाए जाने एवं अतिरिक्त निर्माण सड़क बाधा, कसीनोबार रेस्टोरेन्ट, इंडियन हीरो शो रुम सर्विस सेन्टर एवं चाय सेन्टर आदि पर कार्यवाही की गई। आयुक्त के निर्देश पर उड़नदस्ता एवं तोड़फोड़ की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। प्रभारी आयुक्त आर 0के0 साहू ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें और यातायात प्रभावित न करें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी